



नो योर कस्टमर नीति

प्रिय ग्राहक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि नो योर कस्टमर (केवाईसी) के मापदंड बनाए, क्रियान्वित किए जाएं और ग्राहकों को उसके बारे में शिक्षित किया जाय.

यह ब्रोशर इन्हीं दिशानिर्देशों से आपको परिचित कराने के लिए बनाया गया है।

बैंक / वित्तीय संस्थान(एफआई) का उपयोग धोखाधड़ी भरे व्यवहार करने से रोकने के लिए वित्तीय संस्थान के पास नो योर कस्टमर की सुलिखित नीति होनी चाहिए. यह नीति ग्राहक की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में संतुष्टि पाने के लिए अपनाए जाने हेतु विभिन्न प्रक्रियाएं तय करती हैं। इसे ग्राहक पहचान प्रक्रिया कहा जाता है।

नो योर कस्टमर प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में ग्राहक की पहचान करना और विश्वसनीय स्वतंत्र दस्तावेजों, डाटा या जानकारी का उपयोग करके उसका सत्यापन करना शामिल है। वित्तीय संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया का पालन करते हैं

1. कि कोई भी खाता गुमनाम या काल्पनिक या बेनामी नाम से न खोला जाय
2. सक्षम अधिकारी संतुष्ट हों कि इस पर मौजूदा कानूनों और नियमों के अनुसार उचित श्रम किया गया है
3. यह दर्शाया जा सके कि एफआई ने लाभार्थी मालिक को पहचानने और उसकी पहचान का सत्यापन करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि संतुष्टि पाई जा सके कि लाभार्थी मालिक कौन है

ग्राहक पहचान प्रक्रिया

इस प्रक्रिया में ग्राहक की पहचान करना और विश्वसनीय स्वतंत्र दस्तावेजों, डाटा या जानकारी का उपयोग करके उसका सत्यापन करना शामिल है। एफआई कर्ज देते समय मौजूदा कानूनों की आवश्यकता के अनुसार ग्राहक की पहचान और सत्यापन करने के लिए उसे नीचे दिए गए किसी भी दस्तावेज का उपयोग करके पहचान प्रमाण और निवास प्रमाण जुटाने की जरूरत होती है।

दस्तावेज	विवरण
पहचान प्रमाण(कोई एक)	पैन कार्ड पासपोर्ट मतदाता पहचान पत्र यूआईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र
पता प्रमाण(कोई एक)	पासपोर्ट बिजली का बिल फोन का बिल राशन कार्ड लीज एप्रीमेंट